नीट यू0जी0 2018 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश

- मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम मे यू0पी0 नीट यू0जी0 2018 की ऑनलाइन काउन्सिलिंग कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा करायी जा रही है। अतः ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थी ही वैध है। अनाधिकृत संस्था/व्यक्ति के स्तर पर लिये गये प्रवेश पूर्णरूप से अवैध हैं।
- ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग के पश्चात् च्वाइस लॉक करना अनिवार्य है। लॉक न होने की स्थिति मे आवंटन प्रकिया से स्वतः बाहर हो जायेंगे।
- अभ्यर्थी द्वारा उन्हीं कॉलेजों की च्वाइस भरी जाये, जिनमें वह प्रवेश के लिए इच्छुक है।
- **निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से विशेष रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित कालेज/संस्थान/ विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली फीस (कालेजों के फीस-स्ट्रक्चर कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है) तथा संबंधित कालेज के संबंध में जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के पश्चात् ही च्वाइस लॉक करें।**
- अभ्यर्थी द्वारा लॉक की गयी च्वाइस के उपरांत आवंटित कालेज/पाठ्यक्रम मे प्रवेश लेना अनिवार्य है। प्रवेश न लेने की स्थिति मे जमा की सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग मे पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा करने के पश्चात् अर्ह होंगे।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों मे आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टर पर पूर्ण की जायेगी। नोडल सेन्टर की सूची कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों मे आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को शासन/अल्पसंख्यक संस्था द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tution Fee) **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ** (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow) के पक्ष मे तैयार बैंक ड्राफ्ट, जो लखनऊ मे देय हो, प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति मे प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक/जाति/अन्य प्रमाण-पत्र मूलरूप मे प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेज मे प्रवेश होने के उपरांत प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा कालेज छात्रावास/सिक्योरिटी धनराशि द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग समाप्त होने के पश्चात् आवंटित कालेज मे जमा की जायेगी।
- अभ्यर्थियो द्वारा जमा की सिक्योरिटी धनराशि रू0 30,000.00 एवं रू0 2,00,000.00 किसी भी दशा मे शिक्षण-शुल्क मे समायोजित नहीं की जायेगी।
- अनावंटित/प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा जमा की सिक्योरिटी धनराशि रू0 30,000.00 एवं रू0 2,00,000.00 शैक्षणिक सत्र 2018 की काउन्सिलिंग प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरांत माह अक्टूबर 2018 तक वापस किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी सूचना पृथक से कार्यालय की वेबसाइट पर दी जायेगी।

महानिदेशक